[2024] 2 एस.सी.आर 391 : 2024 INSC 124

कालिंगा @ कुशल

बनाम

कर्नाटक राज्य पुलिस निरीक्षक हुबली द्वारा

(आपराधिक अपील संख्या 622/2013)

20 फ़रवरी, 2024

[बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा,,जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

क्या अपीलकर्ता-अभियुक्त का अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति उसके विरुद्ध,उसके भाई (पीडब्लू-1) के पुत्र की हत्या के अपराध में दोषसिद्धि के लिए ग्राह्य,विश्वसनीय और पर्याप्त थी; क्या पीडब्लू -1 की गवाही को भरोसेमंद और विश्वसनीय माना जा सकता है; तथा क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला पूर्ण और सुसंगत थी, जिससे दोष सिद्धि के निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।

शीर्ष टिप्पणीयाँ

साक्ष्य - अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति - साक्ष्यात्मक मूल्य - परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला - विचारण न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को बरी किया जाना - बरी किए जाने के विरुद्ध अपील - उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की बरी किए जाने के आदेश को पलटते हुए, मुख्यतः पीडब्लू-1 के समक्ष की गई कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे दोषी ठहराया जाना - वैधता:

अभिनिर्धारित: अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति साक्ष्य का एक कमजोर प्रकार होता है और सामान्यतः इसे अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों की पुष्टि हेतु एक सहायक कड़ी के रूप

में उपयोग किया जाता है। इसे अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि यह अन्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है, तो यह विश्वास उत्पन्न नहीं करती और दोष सिद्धि के निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए इसे एक सशक्त साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता।अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता का स्तर उस गवाह की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है, जिसके समक्ष यह दी गई है, तथा उन परिस्थितियों पर भी, जिनमें यह दी गई थी। अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना आवश्यक है कि वास्तव में अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति की गई थी, वह स्वेच्छिक थी, तथा उसके कथन सत्य थे।वर्तमान मामले में, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति मुख्यतः पीडब्लू-1 (मृतक के पिता) के बयान पर आधारित है, जिनकी गवाही अनेक आधारों पर अभियोजन के मामले के लिए घातक सिद्ध होती है। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का संदिग्ध अस्तित्व, पीडब्लू-1 का अस्वाभाविक पूर्व एवं पश्चात आचरण, अविश्वसनीय गवाह पीडब्लू-2 की उपस्थिति में शव की बरामदगी, गिरफ्तारी के संबंध में विरोधाभास, तथा 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के समर्थन में गवाहों की गवाही में विसंगतियाँ–ये सभी ऐसी असंगतियाँ हैं जो अभियोजन के मामले की जड़ पर प्रहार करती हैं।बरामद किए गए शव की पहचान के संबंध में भी गंभीर संदेह मौजूद है। पीडब्लू-1 की गवाही न तो विश्वसनीय है और न ही भरोसेमंद। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते।विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का समग्र रूप से उचित मूल्यांकन किया था, जबकि उच्च न्यायालय ने बिना किसी विकृति या अवैधता के निष्कर्ष पर पहुँचे बिना उस दृष्टिकोण को पलट दिया। उच्च न्यायालय ने मामले को सतही रूप से देखा और मात्र साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर एक भिन्न निष्कर्ष पर पहुँच गया।जहाँ किसी मामले में दो संभावित दृष्टिकोण युक्तिसंगत रूप से संभव हों, वहाँ उस संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। बरी होने के पश्चात अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा और अधिक सुदृढ़ हो जाती है।अतः उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश को पलटना त्रुटिपूर्ण था। विवादित निर्णय को निरस्त किया जाता है और विचारण न्यायालय के आदेश को पुनः स्थापित किया जाता है। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को बरी किया जाता है। [पैरा 14-16, 25-27 एवं 30]

बरी किए जाने के विरुद्ध अपील - उच्च न्यायालय द्वारा अपीलीय शक्तियों का प्रयोग:

अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय, अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समस्त साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। तथापि, बरी किए जाने के आदेश को पलटना मात्र इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि कोई भिन्न दृष्टिकोण संभव है या केवल मतभेद है। ऐसा करना "दो दृष्टिकोण सिद्धांत" के विपरीत होगा।बरी किए जाने के आदेश को अपील में निरस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि यह निष्कर्ष निकाला जाए कि विचारण न्यायालय का आदेश विकृत या अवैध था; या विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया; अथवा विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण एक संभाव्य दृष्टिकोण नहीं था।[पैरा 25]

साक्ष्य - अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति - प्रमाण का मानक:

अभिनिर्धारित: न्यायालय की संतुष्टि के लिए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को सिद्ध करने का मानक उच्च स्तर का होता है और इसके आवश्यक तत्वों को किसी भी युक्तिसंगत संदेह से परे स्थापित किया जाना चाहिए। यह मानक और भी अधिक कठोर हो जाता है जब अभियोजन का पूरा मामला मुख्यतः अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर आधारित हो।[पैरा 15]

साक्ष्य - परिस्थितिजन्य साक्ष्य - "पंचशील" सिद्धांत:

अभिनिर्धारित: मूलतः, जब प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव होता है, तब परिस्थितिजन्य साक्ष्य का सहारा लिया जाता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले को सिद्ध करने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण हो। यह भी सिद्ध किया जाना चाहिए कि यह श्रृंखला केवल अभियुक्त के दोषी होने के निष्कर्ष के साथ ही संगत हो।परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में त्रुटि की संभावना अत्यंत कम होती है, क्योंकि ऐसी साक्ष्य श्रृंखला न्यायालय को निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है। तथापि, केवल अनुमान के आधार पर किसी व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व आरोपित करने का कार्य अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।[पैरा 27]

आपराधिक विधि - मामूली विसंगतियाँ "के संदर्भ में" युक्तिसंगत संदेह - परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला - प्रतिवादी राज्य का तर्क कि मामूली विसंगतियों को बरी करने के लिए युक्तिसंगत संदेह नहीं माना जा सकता:

अभिनिर्धारित: इसमें कोई संदेह नहीं कि स्थापित विधि के अनुसार, युक्तिसंगत संदेह अभियोजन के मामले में एक गंभीर संदेह होता है, और मामूली विसंगतियों को युक्तिसंगत संदेह का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। युक्तिसंगत संदेह वह होता है, जो दोष सिद्धि की संभावना को अत्यंत संदिग्ध बना दे।आपराधिक विचारण का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना नहीं है कि कोई निर्दोष व्यक्ति दंडित न हो, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि दोषी व्यक्ति दंड से बच न सके।वर्तमान मामले में, अभियोजन के कथन में जो विसंगतियाँ हैं, वे मामूली नहीं हैं। अभियोजन परिस्थितियों की एक सुसंगत एवं पूर्ण श्रृंखला स्थापित करने में पूर्णतः असफल रहा है। यह मामला ऐसे हल्के-फुल्के बरीकरण का उदाहरण नहीं है, जिसे विधि में निंदनीय माना जाता है। [पैरा 29]

उदघृत निर्णयजन्य विधि

चंद्रपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [2022] 3 एससीआर 366 :(2022) एस सी सी On Line SC 705; संजीव बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य(2022) 6 एस सी सी 294 - पर भरोसा किया गया।संसार चंद बनाम राजस्थान राज्य [2010] 12 एससीआर583 : (2010) 10 एस सी सी 604; पियारा सिंह बनाम पंजाब राज्य[1978] 1 एससीआर 597 : (1977) 4 एस सी सी 452; मल्लिकार्जुन बनामकर्नाटक राज्य [2019] 11 एससीआर 609 : (2019) 8 एस सी सी 359; हरि सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2021]10 एससीआर 1022 : आपराधिक अपील संख्या 186, 2018 (SC);सूचा सिंह बनाम पंजाब राज्य [2003] Suppl. 2 एससीआर 35 : (2003) 7 एस सी सी 643 - का संदर्भ दिया गया।

अधिनियमों कि सूची:

दण्ड संहिता, 1860

प्रमुख शब्दों की सूची

न्यायेतर स्वीकारोक्ति; कमज़ोर प्रकार का साक्ष्य; परिस्थितिजन्य साक्ष्य; परिस्थितिजन्य साक्ष्य की शृंखला; दोषमुक्ति के विरुद्धअपील; दोषमुक्ति का पलटा जाना; दो संभावित दृष्टिकोण; दोषसिद्धि का निष्कर्ष; विकृति या अवैधता; सरसरी नज़र; अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता कीधारणा; उचित संदेह से परे; छोटी-मोटी विसंगतियाँ;उचित संदेह; विसंगतियाँ जो छोटी-मोटी नहीं हैं; अपीलीय शक्तियाँ;साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन; प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव; आपराधिकविचारण का उद्देश्य; तैयार गवाह

मामले की उत्पत्ति

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील सं. 622 वर्ष 2013 की

कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ स्थित सर्किट बेंच के दिनांक 28.03.2011 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध (आपराधिक अपील सं. 130, वर्ष 2005 की)

अधिवक्तागण

शरण ठाकुर, महेश ठाकुर, सिद्धार्थ ठाकुर, शिवमशर्मा, पी.एन. सिंह, मुस्तफा सज्जाद, सुश्री कीर्ति जया, रणविजय सिंह चंदेल, डॉ. सुशील बलवाड़ा, अधिवक्ता- अपीलकर्ता के लिए

मुहम्मद अली खान, ए.ए.जी., वी.एन. रघुपति, उमर होदा, सुश्री। ईशा बख्शी, उदय भाटिया, कामरान खान, मनेंद्र पाल गुप्ता, अधिवक्ता- प्रतिवादी की ओर से

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

सतीश चंद्र शर्मा,जे न्यायमूर्ति

1. मास्टर हृतिक, आयु 2.5 वर्ष, ने दिनांक 03.11.2002 को कर्नाटक के हुबली में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अपनी जान गंवा दी। पीडब्लू-1, जो उसके पिता तथा इस मामले में शिकायतकर्ता हैं, ने एक शिकायत दर्ज कराई और आरोप अपीलकर्ता/अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया, जो पीडब्लू-1 का छोटा भाई है।पूर्ण विचारण के उपरांत, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को पलटते हुए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया।हृतिक की मृत्यु का रहस्य अब भी बना हुआ है, क्योंकि यह मामला वर्तमान अपील के रूप में इस न्यायालय के समक्ष आया है, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय (धारवाड़ खंडपीठ) द्वारा आपराधिक अपील सं. 130/2005 में दिनांक 28.03.2011 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है।

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

2. प्रारंभ में, यह उल्लेख करना उचित है कि इस मामले में घटनाक्रम एवं समय-सीमा के संबंध में पक्षकारों के बीच (तथा विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों के बीच भी) पर्याप्त मतभेद है। किसी भी प्रकार के भ्रम या पूर्वधारणा से बचने हेतु, यहाँ वर्णित तथ्य केवल कहानी को समझने के उद्देश्य से अभियोजन के संस्करण को दर्शाते हैं।दिनांक 03.11.2002 को लगभग प्रातः 11 बजे, पीडब्लू-1 का पुत्र खेलने के लिए बाहर गया और लापता हो गया। पीडब्लू-1 तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने बच्चे की आसपास के क्षेत्र में तलाश की। शाम तक बच्चे का कोई पता न चलने पर, लगभग रात 10 बजे पीडब्लू-1 द्वारा पुलिस थाना विद्यनगर, हुबली, कर्नाटक में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। इस शिकायत को अपराध संख्या 215/2002 के रूप में दर्ज किया गया।

3. इसके बाद, दिनांक 14.11.2002 को, अपीलकर्ता (जो पीडब्लू-1 का भाई भी है) नशे की अवस्था में पीडब्लू-1 के घर आया और हृतिक के लापता होने की घटना तथा बच्चे के साथ हुई किसी अनहोनी के बारे में उलझी हुई बातें करने लगा। 14.11.2002 की यह घटना देर रात हुई और उस समय पीडब्लू-1 ने इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की।दिनांक 15.11.2002 की सुबह, पीडब्लू-1 अपनी दुकान पर गया और लगभग 12:30 बजे वापस लौटा। इस समय, पीडब्लू-1, उसकी माता एवं पत्नी ने अपीलकर्ता

से बच्चे के बारे में पूछताछ की, जिस पर अपीलकर्ता ने बताया कि उसने हृतिक की हत्या कर दी है और उसका शव एक कुएँ में फेंक दिया है। इसके पश्चात, पीडब्लू-1 अपीलकर्ता को पुलिस थाना विद्यनगर ले गया, जहाँ शिकायत दर्ज की गई और इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई।

4. अभियोजन का यह कथन है कि पुलिस थाने पहुँचने पर, अपीलकर्ता ने अपराध करने तथा बच्चे को कुएँ में फेंकने की बात स्वीकार की। अभियुक्त का स्वैच्छिक कथन, जो अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के स्वरूप में था, पीडब्लू-16 (जांच अधिकारी) द्वारा Ex.P.21 के रूप में दर्ज किया गया।अपीलकर्ता के कथन पर, पीडब्लू-16 ने पीडब्लू-1, उसकी माता, पत्नी तथा पंच गवाहों को पुलिस जीप में लेकर कमत कैफे के पीछे स्थित स्थान पर पहुँचाया। वहाँ पहुँचने पर, अपीलकर्ता ने पीडब्लू-16, पीडब्लू-1 तथा पंचों को एक कुएँ के पास ले जाकर बताया कि मृतक का शव उसी कुएँ में फेंका गया है। जब उन्होंने कुएँ में देखा, तो वहाँ एक बच्चे का शव तैरता हुआ पाया गया।शव को बाहर निकाला गया और पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद, स्थल पंचनामा किया गया तथा शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। तत्पश्चात, अभियुक्त संख्या 2 और 3 को गिरफ्तार किया गया और उनके खुलासे के आधार पर तथा उनके बताने पर, पीडब्लू-17 से आभूषण (मटेरियल ऑब्जेक्ट्स 5 और 6) बरामद किए गए, जो कथित रूप से मृतक बच्चे के शरीर से उतारे गए थे और पीडब्लू-17 को बेच दिए गए थे।

5. उक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, पीडब्लू-16 ने मामले की जांच की और आरोपपत्र प्रस्तुत किया। मामले के सत्र न्यायालय में विचारण हेतु भेजे जाने के पश्चात, तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं 201, 302, 363, 364 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आरोप तय किए गए।विचारण की समाप्ति पर, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-01, धारवाड़ (हुबली) द्वारा दिनांक 30.04.2004 के आदेश के माध्यम से सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।

6. अभियुक्तों को बरी करते समय, विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित कारण दिए:

(i) अभियोजन के मामले के समर्थन में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और पूरा मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

(ii) अभियोजन का मामला मुख्यतः अपीलकर्ता की अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति तथा उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कुएँ से शव की बरामदगी के तथ्य पर आधारित है।

(iii) अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि जिस गवाह के समक्ष यह दी गई है, वह कितना सत्यनिष्ठ है तथा किन परिस्थितियों में यह स्वीकारोक्ति दी गई। पीडब्लू-1 के न्यायालय में दिए गए बयान और शिकायत (Ex.P1) में अंतर है। शिकायत में पीडब्लू-1 ने सह-अभियुक्तों की संलिप्तता का उल्लेख किया था, जबकि न्यायालय में उसकी गवाही अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता के संबंध में पूर्णतः मौन रही।

(iv) पीडब्लू-1 ने कहा कि जब अपीलकर्ता द्वारा स्वीकारोक्ति की गई, उस समय उसकी पत्नी और माता भी उपस्थित थीं। तथापि, अभियोजन द्वारा न तो उसकी पत्नी और न ही उसकी माता को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया।

(v) पीडब्लू-1 ने बयान दिया कि स्वीकारोक्ति के बाद वह अपीलकर्ता को पुलिस स्टेशन ले गया, जहाँ अपीलकर्ता ने अभियुक्त संख्या 2 और 3 की संलिप्तता का खुलासा किया। किन्तु पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत (Ex.P1) में अभियुक्त संख्या 3 का कोई उल्लेख नहीं है। इस संबंध में विरोधाभास महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि अपीलकर्ता ने पुलिस स्टेशन जाने से पहले ही अभियुक्त संख्या 2 और 3 की संलिप्तता बताई थी, तो पीडब्लू-1 द्वारा Ex.P1 में अभियुक्त संख्या 3 का नाम छोड़ने का कोई कारण नहीं था।

(vi) विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-1 के विभिन्न संस्करणों का संज्ञान लेते हुए कहा कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति संदेह से परे होनी चाहिए, जो कि पीडब्लू-1 की गवाही में नहीं है।

(vii) विचारण न्यायालय ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में भी विसंगति पाई। पीडब्लू-1 ने कहा कि उसने स्वीकारोक्ति के बाद अपीलकर्ता को पुलिस

स्टेशन ले गया, जबकि पीडब्लू-16 ने कहा कि शिकायत दर्ज करने के बाद उसने अपीलकर्ता को उसके घर से गिरफ्तार किया।

(viii) दिनांक 14.11.2002 को अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से कुछ कहे जाने की घटना का उल्लेख, पीडब्लू-1 द्वारा अगले दिन दी गई शिकायत में नहीं किया गया।

(ix) पीडब्लू-5 द्वारा दी गई इस सूचना के बावजूद कि उसने 03.11.2002 को अपीलकर्ता को बच्चे को ले जाते हुए देखा था, तथा पीडब्लू-7 द्वारा 10.11.2002 को दी गई इस सूचना के बावजूद कि उसने तीन व्यक्तियों को कुएँ में कुछ फेंकते हुए देखा था, पीडब्लू-1 ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अतः पीडब्लू-1 का आचरण स्वाभाविक नहीं पाया गया।

(x) पीडब्लू-1 मृतक द्वारा पहने गए कपड़ों और शव पर पाए गए कपड़ों के संबंध में विसंगति स्पष्ट करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त, पीडब्लू-12 ने कहा कि शिकायत दर्ज करते समय उसने पीडब्लू-1 से बच्चे पर किसी आभूषण के संबंध में पूछा था, जिस पर पीडब्लू-1 ने नकारात्मक उत्तर दिया।

(xi) 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के सिद्धांत को भी विचारण न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया तथा इस संबंध में गवाहों–पीडब्लू-5, पीडब्लू-6, पीडब्लू-7 और पीडब्लू-18–की गवाही पर विश्वास नहीं किया गया।

7. विचारण न्यायालय के निर्णय को राज्य द्वारा अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण किया और अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 201, 302, 363 एवं 364 के अंतर्गत दोषी ठहराया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त संख्या 2 और 3 के संबंध में बरी किए जाने के निष्कर्ष से उच्च न्यायालय सहमत था।

8. अभियुक्त संख्या 2 और 3 के विरुद्ध साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन पर, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की कि साक्ष्य विश्वसनीय नहीं

थे। 'अंतिम बार साथ देखे जाने' (last seen) का सिद्धांत, जिसके आधार पर अभियुक्त संख्या 2 और 3 को अपराध के दायरे में लाने का प्रयास किया गया था, अस्वीकार कर दिया गया। इसी प्रकार, अभियुक्तों के कहने पर पीडब्लू-17 से आभूषणों की बरामदगी के आरोप को भी खारिज कर दिया गया।चूँकि अभियुक्त संख्या 2 और 3 के संबंध में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, अतः इस न्यायालय के लिए उस पर आगे विचार करना आवश्यक नहीं है।उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की कथित स्वैच्छिक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति तथा उसके कथन पर मृतक के शव की बरामदगी के संबंध में विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को निरस्त कर दिया। तत्पश्चात, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आधारों पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया:

(i) अपीलकर्ता की अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक थी और उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

(ii) अपीलकर्ता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मृतक के शव की बरामदगी हुई तथा पीडब्लू-1 के कथन में पाई गई छोटी-मोटी विसंगतियाँ महत्वपूर्ण नहीं हैं।

(iii) विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-1 के साक्ष्य, विशेषकर स्वैच्छिक बयान और शव की बरामदगी के संबंध में साक्ष्य का उचित मूल्यांकन न करके त्रुटि की।

<u>अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

9. उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता का कहना है कि उच्च न्यायालय ने पीडब्लू-1 के साक्ष्य में मौजूद विसंगतियों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया और उसे स्वीकार कर लिया। आगे यह भी कहा गया कि पीडब्लू-1 द्वारा प्रत्येक चरण पर किए गए सुधारों पर उच्च न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का विस्तार से मूल्यांकन किया था और उच्च न्यायालय के लिए समस्त साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर अपने स्तर पर भिन्न निष्कर्ष निकालना उचित नहीं था। इसके अतिरिक्त, यह भी

कहा गया कि उच्च न्यायालय ने अभियोजन के गवाहों की सूची में पीडब्लू-1 की माता एवं पत्नी की अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया।

10. अपीलकर्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष पर विवादित आदेश में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई। यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का सही दृष्टिकोण से परीक्षण नहीं किया, विशेषकर उस संदेह के आलोक में जो विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया था। यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को कठोर परीक्षण के अधीन नहीं रखा और उस पर अनुचित रूप से अत्यधिक निर्भरता दिखाई।आगे यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय ने मृतक के शव पर पाए गए कपड़ों के विवरण और पीडब्लू-1 द्वारा अपनी शिकायत में दिए गए विवरण के बीच के अंतर को नजरअंदाज कर दिया। अंततः यह तर्क दिया गया कि यदि साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन पर दो दृष्टिकोण संभव थे, तो उच्च न्यायालय को अभियुक्त के पक्ष में दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था।

11. इसके विपरीत, राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि वह साक्ष्यों के सही मूल्यांकन पर आधारित है। यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता की स्वैच्छिक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है और इस तथ्य से कि उसी के आधार पर मृतक का शव बरामद हुआ, उसकी विश्वसनीयता और बढ़ जाती है।इस संदर्भ में **संसार चंद बनाम राजस्थान राज्य और पियारा सिंह बनाम पंजाब राज्य** के निर्णयों पर निर्भर किया गया। आगे यह भी कहा गया कि प्रत्येक संदेह को युक्तिसंगत संदेह नहीं माना जाना चाहिए और मामूली विसंगतियों के आधार पर किसी गवाह की संपूर्ण गवाही को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।इस संबंध में मल्लिकार्जुन बनाम कर्नाटक राज्य तथा हरि सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णयों पर भी भरोसा किया गया।

12. हमने अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री शरण ठाकुर तथा प्रतिवादी राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री मुहम्मद अली खान की दलीलें सुनीं।

विचार-विमर्श

13. अब हम उन मुद्दों का निर्धारण करते हैं जो इस न्यायालय के विचारार्थ उत्पन्न होते हैं, निम्नानुसार:

(i) क्या अपीलकर्ता/अभियुक्त की अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति ग्राह्य, विश्वसनीय तथा उसके आधार पर दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त थी?

(ii) क्या पीडब्लू-1 की गवाही को भरोसेमंद एवं विश्वसनीय माना जा सकता है?

(iii) क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला पूर्ण एवं सुसंगत है, जिससे दोष सिद्धि के निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके?

14. अपीलकर्ता की दोषसिद्धि मुख्यतः उसके द्वारा पीडब्लू-1 के समक्ष की गई कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर आधारित है। जहाँ तक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति का संबंध है, इसे साक्ष्य का एक कमजोर प्रकार माना जाता है और सामान्यतः इसे अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों की पुष्टि हेतु एक सहायक कड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है।**चंद्रपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** में, इस न्यायालय ने अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के साक्ष्यात्मक मूल्य को निम्न शब्दों में पुनः प्रतिपादित किया:

> "11. इस चरण पर यह उल्लेखनीय है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, जब एक से अधिक व्यक्तियों पर एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारण चल रहा हो, और उनमें से किसी एक द्वारा किया गया स्वीकारोक्ति, जो स्वयं को तथा अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता हो, सिद्ध हो जाए, तो

न्यायालय उस स्वीकारोक्ति को अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी विचार में ले सकता है।

तथापि, इस न्यायालय ने निरंतर यह कहा है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है, और जब तक यह विश्वास उत्पन्न न करे या किसी ठोस प्रकृति के अन्य साक्ष्य द्वारा पूर्णतः पुष्ट न हो, तब तक सामान्यतः केवल इसी के आधार पर हत्या जैसे अपराध में दोषसिद्धि नहीं की जानी चाहिए।जैसा कि **मध्य प्रदेश राज्य** (CBI के माध्यम से) **बनाम पलटन मल्लाह** में कहा गया है, सह-अभियुक्त द्वारा की गई अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को केवल पुष्टिकरण साक्ष्य के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। यदि अभियुक्त के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो सह-अभियुक्त द्वारा की गई कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अपना महत्व खो देती है और केवल उसके आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।"

15. अब यह विवाद का विषय नहीं रहा कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि यह अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों से समर्थित नहीं है, तो यह विश्वास उत्पन्न नहीं करती और ऐसे मामले में दोष सिद्धि के निष्कर्ष तक पहुँचने हेतु इसे एक मजबूत साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता उस गवाह की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, जिसके समक्ष यह की गई है, तथा उन परिस्थितियों पर भी, जिनमें यह की गई।अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वास्तव में अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति की गई थी, वह स्वैच्छिक थी और उसके कथन सत्य थे। न्यायालय की संतुष्टि हेतु अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को सिद्ध करने का मानक उच्च होता है और इन आवश्यक तत्वों को किसी भी युक्तिसंगत संदेह से परे स्थापित किया जाना चाहिए। यह मानक तब और भी कठोर हो जाता है, जब अभियोजन का पूरा मामला इसी स्वीकारोक्ति पर आधारित हो।

16. वर्तमान मामले में, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति मुख्यतः पीडब्लू-1 (मृतक के पिता) के बयान पर आधारित है। इस पहलू पर विचार किए बिना कि पीडब्लू-1 एक हितग्राही गवाह है, उसकी गवाही अनेक आधारों पर अभियोजन के मामले के लिए घातक सिद्ध होती है। पीडब्लू-1 ने कहा कि दिनांक 14.11.2002 को अपीलकर्ता उसके घर आया और मृतक के संबंध में कुछ बातें कही। इसके बावजूद, पीडब्लू-1 ने अपीलकर्ता को जाने दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। घटना 03.11.2002 को हुई थी और 11 दिनों के पश्चात भी पीडब्लू-1 को अपने पुत्र के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में, जब 11वें दिन अपीलकर्ता उसके घर आता है और उसके पुत्र के संबंध में प्रतिकूल बातें कहता है, तब भी पीडब्लू-1 कोई कार्रवाई नहीं करता।यहाँ तक कि अगले दिन भी पीडब्लू-1 सामान्य रूप से अपनी दुकान पर गया और दिनचर्या के अनुसार कार्य करता रहा। इसके पश्चात, वह 15.11.2002 की दोपहर घर लौटा और अपीलकर्ता से पूछताछ की। यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलकर्ता पुनः 15.11.2002 को उसके घर कैसे पहुँचा। तथापि, पीडब्लू-1 ने कहा कि जब उसने, उसकी माता एवं पत्नी ने अपीलकर्ता से पूछताछ की, तो उसने हत्या स्वीकार की और तत्पश्चात उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

17. पुलिस स्टेशन की कार्यवाही पर जाने से पूर्व, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्वीकारोक्ति पीडब्लू-1, उसकी माता एवं पत्नी के समक्ष की गई थी। किन्तु, अभियोजन द्वारा न तो माता और न ही पत्नी को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह गंभीर त्रुटि स्वीकारोक्ति के अस्तित्व पर ही संदेह उत्पन्न करती है।

18. पुलिस स्टेशन पहुँचने के पश्चात, पीडब्लू-1 के मुख्य परीक्षण के अनुसार, अपीलकर्ता ने अभियुक्त संख्या 2 एवं 3 के साथ मिलकर शव को कुएँ में फेंकने की बात स्वीकार की। उल्लेखनीय है कि पीडब्लू-1 के मुख्य परीक्षण के अनुसार, अपीलकर्ता के मूल कथन में सह-अभियुक्तों का उल्लेख नहीं था।जब शिकायत Ex.P1 को देखा जाता है, तो एक तीसरा संस्करण सामने आता है। यह शिकायत 15.11.2002 को पीडब्लू-1 द्वारा पुलिस स्टेशन में दी गई थी। इसके अनुसार, अपीलकर्ता से पीडब्लू-1 एवं उसकी

माता (पत्नी का उल्लेख नहीं) ने पूछताछ की थी और अपीलकर्ता ने केवल एक अन्य अभियुक्त (अभियुक्त संख्या 2) के साथ अपराध करना स्वीकार किया।Ex.P1 में 14.11.2002 को पीडब्लू-1 के घर हुई घटना का भी कोई उल्लेख नहीं है। यह नहीं बताया गया कि यह महत्वपूर्ण घटना शिकायत में क्यों नहीं जोड़ी गई, जबकि यही घटना अगले दिन हुई पूछताछ और शिकायत दर्ज कराने का आधार बनी।इसी प्रकार, Ex.P1 में पीडब्लू-5 एवं पीडब्लू-6 द्वारा दी गई उस सूचना का भी उल्लेख नहीं है कि उन्होंने घटना के दिन बच्चे को अपीलकर्ता के साथ जाते देखा था। इन गवाहों का बाद में उल्लेख किया जाना एक सुधार प्रतीत होता है।

19. स्वीकारोक्ति के बाद दो बातें हुईं–अपीलकर्ता की गिरफ्तारी और मृतक के शव की बरामदगी। इन दोनों पहलुओं से संबंधित साक्ष्य भी संदिग्ध हैं। पीडब्लू-1 के अनुसार, उसने अपीलकर्ता को पुलिस स्टेशन ले जाकर गिरफ्तार कराया, जबकि पीडब्लू-16 (जांच अधिकारी) ने कहा कि उसने शिकायत दर्ज करने के बाद अपीलकर्ता को उसके घर से गिरफ्तार किया।गिरफ्तारी का स्थान एवं तरीका संदेहास्पद है। इससे यह प्रश्न भी उठता है कि स्वीकारोक्ति कब और किन परिस्थितियों में हुई–क्या वह स्वेच्छा से पुलिस स्टेशन जाने पर हुई या घर से गिरफ्तारी के बाद? इन दोनों परिस्थितियों में स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिकता का मूल्यांकन भिन्न होता है, और बाद वाली स्थिति में स्वैच्छिकता की संभावना कम होती है।

20. उच्च न्यायालय द्वारा बरी करने के आदेश को पलटने का एक अन्य आधार यह था कि अपीलकर्ता के कथन पर मृतक का शव बरामद हुआ। किन्तु यह बरामदगी भी उसी कथित स्वीकारोक्ति पर आधारित है, जो न्यायालय का विश्वास उत्पन्न नहीं करती। विचारण न्यायालय ने इस साक्ष्य का सही विश्लेषण किया था, जबकि उच्च न्यायालय ने बिना संदेहों का समाधान किए इसे स्वीकार कर त्रुटि की।

21. कुएँ से शव की बरामदगी विवादित नहीं है, किन्तु यह सिद्ध करना कि यह बरामदगी अपीलकर्ता के कथन पर हुई, मुख्यतः उसके कथित खुलासे पर निर्भर करता है। इस संबंध में प्रमुख गवाह पीडब्लू-1 है, जिसकी गवाही विश्वसनीय नहीं पाई गई।दूसरा

गवाह पीडब्लू-2 (पंच) है, जो एक होटल में वेटर था और उसने कहा कि वह स्वयं पुलिस स्टेशन गया था। यह मानना कठिन है कि वह संयोगवश पुलिस स्टेशन गया और शव की बरामदगी का गवाह बन गया। सामान्यतः कोई व्यक्ति बिना कारण पुलिस स्टेशन नहीं जाता और न ही वह शव की बरामदगी का गवाह बनने के लिए सहज होता है।रिकॉर्ड पर यह भी नहीं है कि पीडब्लू-2 को जांच में शामिल होने हेतु कोई नोटिस दिया गया था। ऐसी स्थिति में पीडब्लू-2 की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वह जांच अधिकारी का एक 'स्टॉक गवाह' हो सकता है।

22. इसके अतिरिक्त, कुएँ से बरामद शव की पहचान भी संदेह से परे नहीं है। यद्यपि विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-1 द्वारा की गई पहचान के आधार पर मृतक की पहचान को स्वीकार किया, तथापि गंभीर संदेह बने रहते हैं।पीडब्लू-1 द्वारा शिकायत में दिए गए विवरण और शव के विवरण में मेल नहीं है। शव पर पाए गए कपड़े, शिकायत में बताए गए कपड़ों से भिन्न थे। शिकायत में आभूषणों का भी कोई उल्लेख नहीं था। शव की पहचान चेहरे से संभव नहीं थी, क्योंकि 12 दिन बाद कुएँ से निकाले जाने के कारण वह सड़ चुका था और जलीय जीवों द्वारा क्षतिग्रस्त हो चुका था।आभूषणों के संबंध में अभियोजन का कथन भी विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है। अतः शव की पहचान के संबंध में अभियोजन का मामला संदेह से परे नहीं है।

23. एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति पीडब्लू-1 के विरुद्ध जाती है, वह है उसका मौन रहना, जबकि पीडब्लू-5 एवं पीडब्लू-6 ने उसे बताया था कि बच्चे को कुएँ में फेंका गया है। यह सूचना 15.11.2002 से पहले ही पीडब्लू-1 को दी गई थी, फिर भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की।एक चिंतित पिता ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस के पास जाता, किन्तु पीडब्लू-1 का आचरण अस्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त, पीडब्लू-5 ने केवल अपीलकर्ता को बच्चे को ले जाते देखा, पीडब्लू-6 ने भी केवल अपीलकर्ता को देखा, जबकि पीडब्लू-7 ने तीन व्यक्तियों को कुएँ में कुछ फेंकते देखा।

इन बयानों में भिन्नता है।ऐसी परिस्थितियों में पीडब्लू-1 की गवाही को विश्वसनीय एवं भरोसेमंद नहीं माना जा सकता।

24. यह एक विशेष मामला है जिसमें अपीलकर्ता को हत्या के अपराध में दोषी ठहराया गया, जबकि मृत्यु के कारण का निर्णायक रूप से निर्धारण नहीं किया गया। पीडब्लू-14 द्वारा तैयार रिपोर्ट में मृत्यु का कारण डूबना बताया गया है। मृतक को कुएँ में फेंकने का आरोप अपीलकर्ता पर लगाने हेतु अभियोजन ने पीडब्लू-7 और पीडब्लू-18 (अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत -के गवाह) पर भरोसा किया। इन गवाहों की गवाही को विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने अविश्वसनीय माना है, और हम भी इस निष्कर्ष से सहमत हैं।इसके अतिरिक्त, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय 3 से 12 दिनों के बीच बताया गया है, जबकि कथित घटना 03.11.2002 की है। मृत्यु समय की इतनी व्यापक अवधि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। जब इसे मृतक की पहचान संबंधी पहले से मौजूद संदेहों के साथ देखा जाता है, तो इस रिपोर्ट को सावधानी से ही स्वीकार किया जा सकता है। यह विसंगति शव की बरामदगी और पहचान दोनों पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

25. यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि विचारण न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों का समग्र रूप से मूल्यांकन किया था, जबकि उच्च न्यायालय ने बिना यह निष्कर्ष निकाले कि विचारण न्यायालय का आदेश विकृत या अवैध था, उसे पलट दिया। उच्च न्यायालय ने सतही दृष्टिकोण अपनाया और केवल साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर भिन्न निष्कर्ष निकाल लिया।यह स्थापित विधि है कि यद्यपि उच्च न्यायालय अपीलीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, किन्तु केवल भिन्न मत या दृष्टिकोण के आधार पर बरी करने के आदेश को पलटना उचित नहीं है। ऐसा करना “दो दृष्टिकोण सिद्धांत” का उल्लंघन होगा।

किसी बरी करने के आदेश को पलटने के लिए यह आवश्यक है कि यह पाया जाए कि विचारण न्यायालय का आदेश विकृत या अवैध था, या उसने साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया, अथवा उसका दृष्टिकोण संभव दृष्टिकोण नहीं था।

26. पुनः यह दोहराया जाता है कि यदि किसी मामले में दो संभावित दृष्टिकोण हों, तो उसे अभियुक्त के पक्ष में हल किया जाना चाहिए, क्योंकि बरी होने के बाद निर्दोषता की धारणा और मजबूत हो जाती है।संजीव बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में इस न्यायालय ने इस स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया:

"7.1. बरी के विरुद्ध अपील में, यदि अपीलीय न्यायालय बरी के आदेश को पलटना चाहता है, तो उसे विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करना आवश्यक है।

7.2. विचारण न्यायालय द्वारा बरी का आदेश पारित होने पर, आपराधिक मामलों में अभियुक्त के पक्ष में जो सामान्य निर्दोषता की धारणा होती है, वह और अधिक सुदृढ़ हो जाती है (देखें: एटली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

7.3. यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दो दृष्टिकोण संभव हों,तो दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप करने में अपीलीय न्यायालय को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए (देखें: संबासिवन बनाम केरल राज्य11)

27. यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांत सुव्यवस्थित हैं और इन्हें सामान्यतः "पंचशील सिद्धांत" कहा जाता है।ऐसे मामलों में यह आवश्यक है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण हो और केवल अपराध सिद्ध होने के निष्कर्ष के अनुरूप ही हो। ऐसी श्रृंखला में त्रुटि की संभावना अत्यंत कम होनी चाहिए, क्योंकि न्यायालय इसी आधार पर अनुमान लगाता है।जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियाँ असंगत हैं और उनमें मौजूद विसंगतियों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की संदिग्धता, पीडब्लू-1 का अस्वाभाविक आचरण, अविश्वसनीय गवाह पीडब्लू-2 की उपस्थिति में शव की बरामदगी, गिरफ्तारी संबंधी विरोधाभास, तथा "अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत" के गवाहों की अविश्वसनीयता–ये सभी ऐसी कमियाँ हैं जो अभियोजन के मामले की जड़ पर प्रहार

करती हैं।ऐसे साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्धि का निष्कर्ष निकालना न्याय का उल्लंघन होगा। अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के स्वीकार्य मानकों पर खरे नहीं उतरते। परिणामस्वरूप, तीनों मुद्दों का उत्तर नकारात्मक दिया जाता है।

28 निर्णय समाप्त करने से पूर्व, यह उल्लेख करना उचित है कि प्रतिवादी ने यह तर्क दिया कि मामूली विसंगतियों को युक्तिसंगत संदेह नहीं माना जाना चाहिए। इसके लिए सुच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य, मल्लिकार्जुन बनाम कर्नाटक राज्य और हरि सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णयों का हवाला दिया गया।

29. निस्संदेह, यह स्थापित विधि है कि युक्तिसंगत संदेह एक गंभीर संदेह होता है और मामूली विसंगतियों को उसके स्तर तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। किन्तु, वर्तमान मामले में विसंगतियाँ मामूली नहीं हैं। अभियोजन परिस्थितियों की एक सुसंगत श्रृंखला स्थापित करने में पूर्णतः विफल रहा है। यह मामला उन मामलों की श्रेणी में नहीं आता जिन्हें "हल्के-फुल्के ढंग से दिया गया बरी करने का आदेश" कहा जाता है।

30. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को पलटने में त्रुटि की है। अभियोजन के साक्ष्य अधिकतम संदेह उत्पन्न करते हैं, न कि दोष सिद्धि। अतः विवादित आदेश एवं निर्णय निरस्त किए जाते हैं। विचारण न्यायालय का आदेश पुनः स्थापित किया जाता है और अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। यदि अपीलकर्ता हिरासत में है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

31. उपर्युक्त शर्तों के अनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी निस्तारित माने जाएँगे।

32. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

परिणाम: **अपील का निस्तारण किया गया**

शीर्ष टिप्पणियाँ दिव्या पांडे द्वारा तैयार किया गया है।

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।